

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 1981/पौष 3, 1903
No. 413] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1981/PAUSA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 दिसम्बर, 1981

सं० 205/81-सो०ई० केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा०का०वि० 673(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की प्रत्येक अधिसूचना को, जो इससे उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	68/76-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना से उपायद्व मारणी में क्रम सं० 1 के सामन स्तम्भ 4 की प्रविष्टि में "3500 00 रु० प्रति टन" श्रकों और शब्दों के स्थान पर "4200.00 रु० प्रति मीटरी टन" श्रक और शब्द रखे जाएंगे।
2.	69/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना में, परन्तुक में, "3500.00 रु० प्रति मीटरी टन" श्रकों और शब्दों के स्थान पर "4200.00 रु० प्रति मीटरी टन" श्रक और शब्द रखे जाएंगे।

[अधि० सं० 205/81-के०उ०शु०/फा०सं० 61/50/81-सी०एस्स० 2]

डी० मेहता, अधर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 1981

No. 205/81-Central Excises

G.S.R. 673(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	68/76-Central Excises dated the 16th March, 1976.	In the Table annexed to the said notification, in the entry in column 4 against serial No. 1 for the letters, figures and words "Rs. 3500.00 per metric tonne", the letters, figures and words "Rs. 4200.00 per metric tonne" shall be substituted.

1

2

3

2. 69/76-Central Excises dated the 16th March, 1976. In the said notification, in the proviso, for the letters, figures and words "Rs. 3500.00 per metric tonne", the letters, figures and words "Rs. 4200.00 per metric tonne" shall be substituted.

[Notification No. 205/81-C.E.—F.No.61/80/81-CX-2]

D. MEHTA, Under Secy

